न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 12/2017

श्री खीमसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति रावत निवासी शम्भूपुरा तहसील–ब्यावर जिला– अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर

..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री लक्ष्मण नाथ योगी अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 05.07.2017

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शम्भूपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0सं0 1286/1 रकबा 03–16–10 किस्म दांती सिवाय चक भूमि में से रकबा 00–05–00 बीघा पर पक्का कमरा व चारदीवारी कर अतिचार किये जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। नोटिस के प्रस्तुत जवाब में अपीलान्ट द्वारा कब्जा स्वीकार किया गया। तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करते हुए विवादित भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना कायम करने का निर्णय पारित किया गया है। तहसीलदार के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 17.10.2016 से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उपस्थित उभ्य पक्ष को सुना गया।

सर्वप्रथम राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 17.10.2016 की जानकारी अपीलार्थी को नहीं दी गई। दिनांक 6.3.2017 को रेस्पोडेन्ट द्वारा भू.अ.निरीक्षक नयानगर, फतेहपुरिया दोयम, देलवाडा तथा ब्यावर खास ,देवाला एवं हल्का पटवारी सराधना, सरमलिया, सरगांव एवं ब्यावर खास को प्रश्नगत आराजी से अतिक्रमण हटाकर कब्जा राजहित में लिये जानें का पत्र जारी किया गया। जिसकी जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिये जाने पर अपीलार्थी द्वारा सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड आदि की नकले प्राप्त कर अभिभाषक की सलाह के आधार पर न्यायालय में अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई। कानून की अनभिज्ञता के कारण तथा जानकारी के अभाव में हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन कर अपील, गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

अधिनियम का स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि ग्राम शम्भूपुरा तहसील ब्यावर के खसरा नं0 1306 पर शम्भूपुरा ग्राम बसा हुआ है। आबादी भूमि कम होने एवं आबादी बढ जाने कारण ग्राम में आबादी भूमि नहीं होने के कारण अपीलान्ट द्वारा आबादी भूमि से लगते हुए खसरा नं0 1286 रकबा 5–16–10 बीघा की 00–05–00 बीघा भूमि पर करीब 35–40 वर्ष पूर्व पक्की चारदीवारी कर पक्के कमरों का निर्माण करवाकर परिवार सहित निवास करता आया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है तथा अपने मवेशी,कृषि उपकरण, चारा, रोडी इत्यादि वहीं रखता आया है। जिला कलक्टर अजमेर के आदेश कमांक कअ/राजस्व/एफ.12(सी)/12/189/दिनांक 22.11.2012 से विवादित खसरा भूमि को ग्राम शम्भूपुरा की आबादी हेतु आवंटित भूमियों में खसरा नं0 1286 रकबा 05–16–10 किस्म दांती भूमि मास्टर प्लान/प्रारूप मास्टर प्लान में सम्मिलित ग्राम पंचायत ब्यावर खास के ग्राम शम्भूपुरा की आबादी की 200 मीटर की परिधि के अन्दर आने वाली भूमि हस्तान्तरित की गई। उक्त आदेश की पालना में आबादी भूमि खसरा नं0 1308 की दक्षिणी भुजा का अंतिम छोर से नाम नही किये जाने की त्रूटि के कारण ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट को पट्टा नहीं दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 17.9.2016 में खसरा नं0 1286/1 में अपीलान्ट द्वारा 5 बिस्वा भूमि पर पक्की चारदीवारी एवं कमरा निर्मित किये जाने की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार ब्यावर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। जिसका अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर उक्त वास्तविक तथ्यों से अवगत करवाया जाने के बावजूद आक्षेपित आदेश पारित किया गया। तहसीलदार ब्यावर के मौका रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश दिनांक 8.10.2016 की पालना में पटवारी हल्का एवं सरपंच ब्यावर खास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भी "राजस्व नक्शें का निरीक्षण एवं मौके पर सीमाज्ञान करने पर पाया कि खसरा नं0 1308 के दक्षिणी कोने जो सडक के खसरा नं0 1309 से लगता हुआ है से 200 मीटर नापने पर खसरा नं0 1286 सरहदी सीमा डूंगरखेडा तक चला जाता है तथा खसरा नं0 1296 का अंतिम छोर खसरा नं0 1308 से लगता हुआ है से नापने पर 200 मीटर कुएं के खसरा नं0 1285 की सीध में जाता है जबकि राजस्व नक्शे में तरमीम काफी पीछे की गई है। जबकि खसरा नं0 1308 से 1286 की तरफ 200 मीटर की परिधि में खसरा नं0 1286 का कुल रकबा 3–15–0 बीघ आता है। पूर्व में हस्तान्तरित प्रस्तावित करते समय मात्र 2–0–0 बीघा भूमि ही प्रस्तावित की गयी थी जबकि खसरा नं0 1286 में से 1–15–00 बीघा भूमि आबादी हेतु आंवटित भूमि 2–00–00 बीघा के अतिरिक्त आती है। इस प्रकार 200 मीटर की परिधि में हस्तातंरित भूमि के नियमानुसार 3–15–00 बीघा भूमि ग्राम पंचायत में हस्तान्तरित करना प्रस्तावित करनी चाहिए थी लेकिन 2–00–00 बीघा भूमि ही की गयी।" अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 निरस्त फरमा कर माननीय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2012 की पालना में ग्राम शम्भूपुरा की आबादी भूमि खसरा नं0 1308 के दक्षिण दिशा का अंतिम छोर से 200 मीटर नाप करवाया जाकर खसरा नं0 1286 की कुल भूमि रकबा 5–16–10 बीघा में से 3–15–00 बीघा भूमि आबादी घोषित फरमा कर ग्राम पंचायत को अपीलांट के हक में प्रशनगत आराजी का आवासीय पट्टा जारी करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

05/07/17

जिला कलक्टर
अजमेर

राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्मी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में दांती सिवाय चक दर्ज है तथा अतिक्मी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्मण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.. 2016 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.07..2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर